2

प्राथमिक शिक्षण अधिगम में बहुभाषिकता हेतु नवाचारी पहल

निशांत यादव*

ग्रामीण अंचल के सुदूरवर्ती क्षेत्र के अधिकांश बच्चे जो विद्यालयों में नामांकित हैं भाषा की कठिनाइयों के कारण प्रभावी ढंग से शिक्षण अधिगम में अभिरुचि नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके अभिभावक, जो शिक्षण के दायरे में नई भाषा से अनभिज्ञ होते हैं वे अपने मातृभाषा के आधार पर शिक्षण अधिगम हेतु बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं। भाषागत समस्या विद्यालयों में बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर करता है। जिस वजह से कुछ वर्षों के पश्चात बच्चों के विद्यालय छोड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021' और 'फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022' से यह ज्ञात होता है कि आदिवासी समुदायों के बच्चे अन्य समुदाय के बच्चों की तुलना में शिक्षा अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नही करते हैं। क्योंकि इन बच्चों की मातृभाषा विद्यालयी शिक्षण अधिगम की भाषा से पूर्णतः भिन्न होती है। अतः उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में साक्षरता दर का अभीष्ट आँकड़ा प्राप्त करने हेतु और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सभी के लिए आजीवन सीखने हेतु सतत विकास लक्ष्य के 'चौथे लक्ष्य' को प्राप्त करने के लिए बहुभाषा में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होती है। आलेख के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में 'बहुभाषिकता' के महत्व को समझने एवं परखने के साथ-साथ इसकी व्याख्या व विश्लेषण के माध्यम से नए तथ्यों व पक्षों को प्रस्तुत करने का प्रयास है।

भारत एक 'बहुभाषिक' और 'बहुसांस्कृतिक' राष्ट्र है जिसकी विरासत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 'बहुभाषिकता' के नीतिगत दस्तावेज के रूप में विकसित होकर त्रि-भाषा का सूत्र इस उद्देश्य के साथ सामने आया है कि वह भारत की देशज भाषाओं को शिक्षण अधिगम की परंपरा का हिस्सा बनाकर साक्षरता दर में वृद्धि करेगा। यह देशज भाषाओं से ओत-प्रोत ग्रामीण अंचल के बच्चों के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता में अभिवृद्धि का भी निमित्त बनेगा। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हेतु नवाचार के रूप में ओडिशा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 'नुआ

**सहायक आचार्य* (राजनीति विज्ञान), इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, 15 कीडगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211 003

अरुणिमा' (न्यू होराइजंस), 21 भाषाओं में उपलब्ध मातृभाषा आधारित प्रारंभिक 'बचपन शिक्षा' पाठ्यक्रम बनाया है।

इसे आँगनवाड़ियों (बाल विकास केंद्र) में जाने वाले 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। ओडिशा के 72,587 आँगनवाड़ी केंद्रों के 16,13,675 लाख से अधिक बच्चे इससे लाभांवित हुए (उड़ीसा प्लस ब्यूरो, 2020)। 'नुआ अरुणिमा' कोविड काल में बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट से बचने में आई। जिसने बाद में आंचलिक भाषाओं को अधिगम की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में बदलाव सुनिश्चित किए। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में शिक्षण अधिगम हेतु 'बहुभाषिकता' की स्थिति प्रायः व्यक्ति, राष्ट्र एवं समाज के संदर्भ में की जा रही है। जो बताता है कि बहुभाषिकता के द्वारा अधिगम में निम्नलिखित कारकों की अभिवृद्धि हो सकती है—

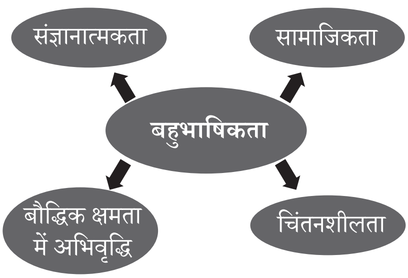

अनेक शोध से यह पता चलता है कि भारत सहित कई देशों में बहुभाषिक शिक्षा अपवाद नहीं, बल्कि आदर्श है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा नई भाषाएँ जानने, समझने और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह अवधारणाओं की गहरी समझ में सक्षमता, आलोचनात्मकता के प्रोत्साहन सहित सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करती है। इससे विद्यालयी स्तर पर होने वाले ड्रॉपआउट में कमी आने की संभावना है, जैसा कि शोध निष्कर्षों से पता चलता है कि सभी भाषाएँ और उनमें निहित ज्ञान समान रूप से समद्ध हो। यह इस शिक्षा-नीति का आधारभूत तथ्य है, लेकिन इन आधारभूत तथ्यों को क्रियान्वित कराना ही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है।

शिक्षण अधिगम में बहुभाषिकता का महत्व

बहुभाषिकता और बहु-संस्कृतिवाद की संकल्पना लगभग एक ही वस्तुस्थिति को दर्शाता है। जब हम बहुभाषिकता की चर्चा करते हैं तो हम बहु-संस्कृतिवाद को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा संस्कृति का एक विशेष और अनिवार्य अंग है। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक होने से ऐसे शब्दों और वाक्यांशों के चयन में सहजता मिलती है, जो स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। यह भाषाओं और संस्कृतियों के मिश्रण बिना संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिकता का सीधा प्रभाव प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था में बच्चों के शिक्षण अधिगम के साथ ही शिक्षक की शैक्षणिक सफलता-असफलता पर भी पड़ता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में अंतर होता है। बच्चे अपने घर पर विद्यालय की औपचारिक भाषा नहीं सीख पाते है, क्योंकि घर पर इस तरह का वातावरण नहीं होता है। इसी कारण उन्हें विद्यालय में सीखने और समझने में अधिक समय लगता है। अतः

उन्हें विद्यालय में हेय दृष्टि से देखा जाता है जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति पर पड़ता है। ऐसे में शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कक्षा में ऐसा परिवेश बनाएँ जिससे बच्चों का रचनात्मक और संवेगात्मक विकास हो सके।

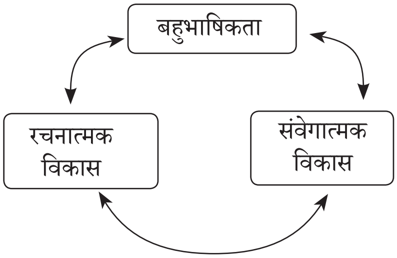

बहुभाषिकता किसी भी कक्षा में संप्रेषण और संवाद की भाषा पर निर्भर करता है। बहुभाषिकता से तात्पर्य अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कक्षा में अन्य भाषाओं के सीखने से भी है। इतिहास गवाह है कि अगर प्राचीन युग के विद्वानों ने उस समय के ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, ग्रंथों आदि का अनुवाद न किया होता तो आज हम ज्ञान-विज्ञान तथा भाषा-साहित्य से वंचित रह जाते। अनुवाद वही विद्वान कर पाते हैं जो बहुभाषी होते हैं। इस तरह बहुभाषिकता विद्यालयों या समूहों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को भी दूरदर्शी बनाने में सहयोग करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के साथ बहुभाषा के संवर्धन हेतु उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषा शिक्षा खंड का शीर्षक ही 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' है। जो शिक्षण अधिगम में भाषायी विविधता को सम्मिलित करने और उसे विद्यालयी शिक्षा में अपनाने हेतु नीतिगत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके कुछ प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं—

- 2–8 वर्ष की आयु के बच्चे शीघ्रता से भाषाएँ सीखते हैं और बहुभाषावाद से बच्चों को संज्ञानात्मक लाभ होता है।
- बच्चों को प्रारंभ से ही विभिन्न भाषाओं से परिचित कराया जाएगा, लेकिन मुख्य बल मातृभाषा के विकास पर ही होगा।
- सभी भाषाओं को मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा।
- शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा।
- कक्षा 3 और उसके बाद अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित किए जाएँगे।
- सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में रोचक और प्रेरणादायक बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी। जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद करवाए जाएँगे।

देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में भाषा शिक्षकों हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वृहत स्तर पर प्रयास किया जाएगा। राज्य अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने के लिए और देश-भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षकों की

नियुक्ति के लिए द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं के शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

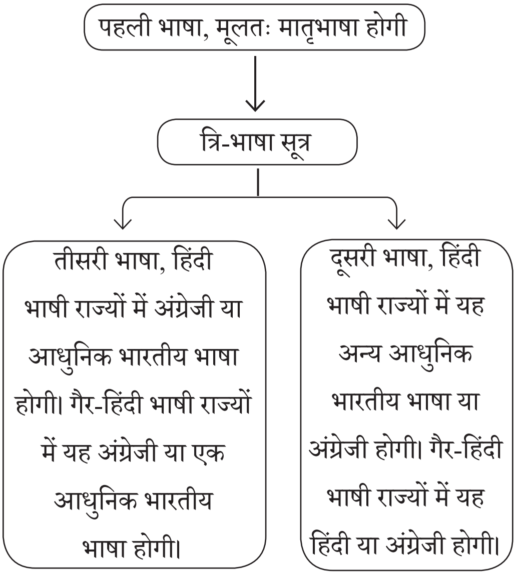

संवैधानिक प्रावधानों, व्यक्तियों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं के अनुरूप बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन जारी रहेगा। हालाँकि, त्रि-भाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के पसंद की होंगी। जब तक कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएँ हों। विशेष रूप से जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तीन भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं वे कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं। जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम न हो जाएँ। विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएँगे, ताकि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों विषयों के बारे में सोचने और बोलने में सक्षम हो सकें।

यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में विभिन्न अवधारणाओं को शीघ्रता से सीखते और समझते हैं। घरेलू भाषा सामान्यतया मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के समान होती है। हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली घरेलू भाषा कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतया कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षण का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा होगी। उसके बाद, जहाँ भी संभव हो, स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जारी रहेगा। इसका पालन सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में किया जाएगा। विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएँगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शुरू से ही किए जाएँगे कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच मौजूद किसी भी अंतर को पाटा जाए। ऐसे मामलों में जहाँ मातृभाषा में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक भाषा जहाँ तक संभव

हो मातृभाषा ही रहेगी। शिक्षकों को द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। किसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ने और सीखने के लिए उसे शिक्षण का माध्यम होना आवश्यक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मातृभाषा पर बल देना, त्रि-भाषा सूत्र आदि पूर्व की शिक्षा नीतियों में भी विद्यमान थे, परंतु उनके नीतिगत क्रियान्वयन का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। कई बार तो भाषायी उत्थान के लिए समर्पित संस्थान या तो उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं या दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व के अभाव में यथास्थितिवाद के शिकार हो जाते हैं जिस वजह से निहित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा से भटक जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने संकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और सभी देशज भाषाएँ एवं उनमें निहित ज्ञान समान रूप से पुष्पित-पल्लवित हो सकें, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के बिंदु होंगे।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में मातृभाषा के साथ बहुभाषा के संवर्धन हेतु उपाय

इसमें बहुभाषावाद पर विशिष्ट बल दिया गया है। यह पाठ्यचर्या सुनिश्चित करती है कि, 15 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी कम से कम तीन भाषाओं में शैक्षणिक दक्षता प्राप्त कर लें। बहुभाषावाद को तथा कक्षा के माहौल को समृद्ध बनाने और बच्चों की सोच को व्यापक बनाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन नें इसे जारी करते समय अपने उद्बोधन में बताया कि, पाठ्यचर्या भारत में 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व में एकीकृत पाठ्यचर्या की रूपरेखा है और इसे भारतीय भाषाओं के अधिगम को बढ़ावा देने वाले दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। इस पाठ्यचर्या के भाषा अनुभाग को देखें तो इसका अध्याय 2; पृ.सं 234–267, भाषा शिक्षा पर केंद्रित है। यह नवीन पाठ्यचर्या मातृभाषा सहित कई भाषाओं के अधिगम पर बल देती है। क्योंकि यह मानती है कि मातृभाषा सहित कई भाषाओं में अधिगम से विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमता, पहचान और जुड़ाव, सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति में सुधार होता है।

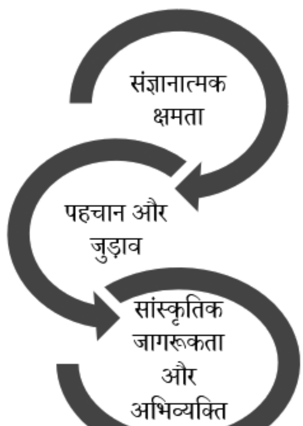

इस प्रकार एक बहुभाषी भारत बेहतर शिक्षित और राष्ट्रीय रूप से अधिक एकीकृत होता है। यही वजह है कि एन.सी.एफ. की धारा 2.4 भारतीय

विद्यालयों में अधिगम हेतु त्रि-भाषा सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

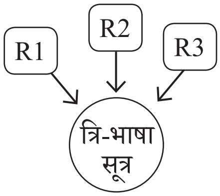

तीन भाषाओं में से पहली भाषा को क्षेत्रीय या आमतौर पर उपयोग की जाने वाली स्थानीय भाषा कहा जाता है और इसे R1 कहा जाता है जैसा कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा में उद्धृत किया गया है।

एन.सी.एफ. की धारा 2.1 में कहा गया है कि भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य न केवल दक्षता है, बल्कि बहुभाषावाद भी है जो विविधता और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। 'भाषा सीखना विद्यार्थियों को समाज में लिखित या मौखिक रूपों में उपलब्ध समझ, ज्ञान और कौशल तक पहुँचने

चरण/आयु	**अधिगम की भाषा**	***अधिगम सामग्री/ पाठ्य-सामग्री***
बुनियादी चरण (3–8 वर्ष)	शिक्षण के लिए 'वह भाषा जो विद्यार्थी को सबसे अधिक परिचित हो' (R1) का प्रयोग किया जाता है। बच्चे दो भाषाएँ (R1 और R2) सीखते हैं और उनसे R1 में आधारभूत साक्षरता हासिल करने की अपेक्षा की जाती है।	प्रारंभ में, खेल सामग्री, जैसे— खिलौनें, पहेलियाँ और पाठ्यपुस्तकें/प्लेबुक/वर्कबुक।
प्रारंभिक चरण (8–11 वर्ष)	'चूँकि R1 में ही सबसे पहले साक्षरता प्राप्त होती है, इसलिए इसे अन्य विषयों के लिए शिक्षण माध्यम (एम.ओ.आई.) के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि किसी अन्य भाषा में साक्षरता प्राप्त न हो जाए।' बच्चे दो भाषाएँ (R1 और R2) सीखते रहते हैं।	'पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से विषय-वस्तु को थोड़ा और अधिक प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि ठोस सामग्री और अनुभव अभी भी विषयवस्तु प्रस्तुति का मूल आधार बनते हैं।'
मध्य चरण (11–14 वर्ष)	'इस चरण में एक नई तीसरी भाषा, R3, शुरू की जाती है। विद्यार्थी इस भाषा के बोले जाने वाले रूप से परिचित होते हैं, साथ ही पढ़ने और लिखने की बुनियादी बातें भी सीखते हैं। उनसे मध्य चरण के अंत तक R3 में समझ के साथ विभिन्न सरल पाठ पढ़ने की अपेक्षा की जाती है।' बच्चे तीन भाषाएँ सीखते हैं (R1, R2 और R3)।	'अच्छी तरह से डिजाइन की गई पाठ्यपुस्तकें, जो सीखने के मानकों के विशिष्ट लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती हैं, ठोस से अमूर्त तक की इस यात्रा में सामग्री को आसान और समझने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।'

स्रोत— https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ncf_2023.pdf

में सक्षम बनाता है। यह विद्यार्थियों में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने, रचनात्मक होने, तर्कसंगत रूप से सोचने, अच्छी तरह से सूचित विकल्प बनाने और उन विकल्पों पर कार्य करने की क्षमताओं को विकसित करता है (वही, पृ.सं. 235)।' दस्तावेज में भाषा शिक्षा के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे— कम साक्षरता, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी, अप्रभावी शिक्षण, योग्यता के बजाए पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना और स्मृति-आधारित मूल्यांकन (रटकर सीखना) आदि।

शिक्षण के संदर्भ में, प्रभावी रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। जैसे स्कूलों में जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रियाएँ, साक्षरता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, मौखिक और साक्षरता का नियमित अभ्यास और साहित्य के लिए निरंतर संपर्क आदि। एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि 'सभी चरणों के विद्यार्थियों के लिए बेहतर पुस्तकालय की आवश्यकता है, परंतु यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि स्थानीय भाषाओं की पुस्तकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस पाठ्यचर्या के निष्कर्ष के रूप में, विद्यालय में शिक्षण और अधिगम हेतु भाषाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में यह देखना श्रेयस्कर लगा कि एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 विद्यालयों में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। इस संकल्पना के क्रियान्वयन हेतु अच्छे सिद्धांत भी गढ़े गए हैं। फिर भी राज्य, विद्यालय, कक्षा और अधिगम के स्तर पर कई सारी चुनौतियाँ बनी रहेंगी। उदाहरण के रूप में R1 की दी गई परिभाषा कि 'R1 अधिकांशतया बच्चों के लिए सबसे परिचित भाषा होनी चाहिए, जो मातृभाषा होगी। यदि व्यावहारिक कारणों से यह संभव नहीं है, तो यह राज्य की भाषा होनी चाहिए, जो वास्तव में विद्यार्थी की एक परिचित भाषा होगी (वही, पृ.सं. 239)।' चुनौती के रूप में प्रश्न यह है कि क्या, व्यवहार में राज्य के अधिकारी सहजता से प्राप्य राज्य की भाषा का उपयोग करने की संभावना से आगे बढ़कर, वास्तव में थोड़ा दुरूह स्थानीय भाषाओं से जुड़ने की नीति को स्वीकार कर पाएँगे? जिसके जवाब में हमें लगता है कि जागरूक स्थानीय लोगों को नागरिक समाज संगठन के रूप में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।

बहुभाषिकता हेतु छत्तीसगढ़ सरकार का विशिष्ट नवाचारी प्रयास

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सरकार ने 2007 में छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध और विकसित करने के लिए 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया। पहले सचिव पद्मश्री सुरेंद्र दुबे बने जिनके कार्यकाल में अनेक साहित्यकारों की करीब 1,200 पुस्तकें छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित हुईं। छत्तीसगढ़ी बोली-भाषा का व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था, जो हिंदी के व्याकरण से भी पुराना माना जाता है। इसके अलावा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ी भाषा में एक शिलालेख भी मिला है। इसे 1700 ईस्वी का बताया जाता है। छत्तीसगढ़ अपनी

बोली-भाषा की विविधता से समृद्ध है। लेकिन शिक्षण अधिगम में केवल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम होने के कारण छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, बघेली, भोजपुरी, जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वालों को शिक्षण अधिगम में भाषायी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की इस समस्या पर ध्यान देते हुए भाषा और शिक्षण फाउंडेशन के साथ साझेदारी में यूनिसेफ ने सरकारी स्कूलों में 4 लाख से अधिक प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों और 30 हजार शिक्षकों को शामिल करते हुए विद्यालय-आधारित भाषा मानचित्रण की अनूठी पहल की। इससे प्राप्त निष्कर्ष बताते हैं कि प्रदेश में बोलचाल की भाषाओं की अत्यधिक विविधता है। इस वैविध्य भाषायी परिदृश्य में 24 मुख्य देशज भाषाओं की पहचान की गई है। जिसमें आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली 11 भाषाएँ शामिल हैं। राज्य के शिक्षण अधिगम में भाषा की कठिनाई का स्तर इतना उच्च है कि तीन-चौथाई विद्यार्थियों और लगभग आधे शिक्षकों ने शिक्षण माध्यम की न्यूनतम या कार्यात्मक समझ की जानकारी दी (सिंथिया मैककैफ्री और धीर झिंगरन, 2024)।

समस्या के निदान के रूप में एस.सी.ई.आर.टी. के संचालक राजेंद्र कटारा ने यह सुनिश्चित किया कि देशज भाषाओं में शिक्षण अधिगम को सुचारु रूप से संचालित किया जाए। जिसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का लेखन प्रारंभ किया गया। उनके अनुसार प्रदेश में 93 देशज बोली-भाषाएँ हैं। इनमें सर्वाधिक बोली जाने वाली 18 बोली-भाषा पर पाठ्यपुस्तक निर्माण का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। निर्माण के पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादड़ी, गोंडी और कुडुख में पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। स्थानीय बोली-भाषा विशेषज्ञों की सहायता से इन पुस्तकों के लेखन का कार्य संपादित हो रहा है (जीत कुमार, 2024)। राज्य ने शिक्षकों के लिए भी एक पुस्तिका विकसित की। उन्हें बहुभाषी शिक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान किया। जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी-शिक्षक जुड़ाव बढ़ा। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में अब 18 स्थानीय बोली-भाषा में पढ़ाई होगी और उसी में पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएँगीं। इससे आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी स्थानीय बोली-भाषा में बेहतर सीख सकेंगे (मुख्यमंत्री कार्यालय, 2024)।

बहुभाषिकता हेतु झारखंड सरकार और यूनिसेफ का विशिष्ट नवाचारी प्रयास

झारखंड सरकार और यूनिसेफ ने 259 प्राथमिक विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल में आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली हो, मुंडारी, खारिया, संथाली और कुडुख भाषाओं में संसाधनों और सामग्री का विकास सम्मिलित है। इस पायलट पहल के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। जिसके कारण सरकार ने राज्य के छह जिलों के 1041 प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा और जनजातीय भाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया। इसमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज जिले के 24 प्रखंड सम्मिलित हैं।

उपयुक्त प्रखंडों के कक्षा 3–5 तक के विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित है। राज्य में कक्षा 3–5 तक की गणित और पर्यावरण अध्ययन की द्विभाषीय पाठ्यपुस्तकों को पाँच स्थानीय जनजातीय भाषाओं में विकसित किया गया है (*हिंदुस्तान समाचार-पत्र*, 2024)।

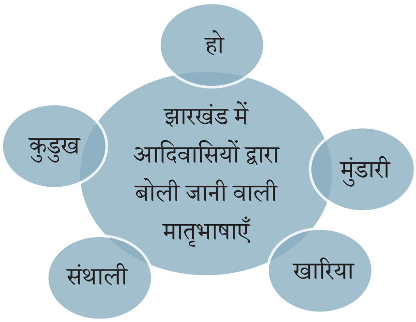

कार्यक्रम के लिए, चयनित विद्यालयों के लिए कक्षा 3–5 तक की अंग्रेजी की 30 हजार पाठ्यपुस्तकों में हिंदी और जनजातीय भाषाओं के कठिन शब्दों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य में सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए फ्लैश कार्ड और शिक्षक संदर्शिका का भी इन पाँचों जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। राज्य सरकार नें इस पहल के अलावा कक्षाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की हैं, पुस्तकालयों में द्विभाषी पुस्तकें रखी गई हैं और स्थानीय कहानियों, कविताओं और शिल्प को सीखने के संसाधनों के रूप में पेश किया गया (जेब अख़्तर, 2024)।

इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा चिह्नित पंद्रह भाषाओं, यथा— संथाली, हो, मुंडारी, कुडुख, ख्रारि, मालतो, भूमिज, बिरहोर, असुर और क्षेत्रीय भाषाओं उड़िया, बांग्ला, पंचपरगनिया, कुड़माली, खोरठा और नागपुरी में बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम के विस्तार की योजना प्रस्तावित है। जिसके तहत इस वर्ष इन पंद्रह भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास, प्रशिक्षण मॉडल के निर्माण, भाषायी कौशल विकास के लिए संसाधनों के निर्माण, मूल्यांकन प्रविधि के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षण अधिगम में बहुभाषिकता अपनाने के लाभ

बहुभाषिकता और विविधता मानव अस्तित्व का एक हिस्सा है। जो उसे कई भाषाओं के ज्ञान के साथ विभिन्न संस्कृतियों की समझ एवं संचार कौशल में निपुणता देता है। वैश्वीकृत दुनिया में संचार कौशल व्यक्ति को मानव समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अतः बहुभाषिकता का शिक्षण में अपनाया जाना बेहद आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा में बहुभाषिक शिक्षा पद्धति अपनाने से कई लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है। बहुभाषी बच्चों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। सोचने-विचारने की क्षमता को अधिक लचीला बनाती है। बहुभाषी बच्चों में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक सहिष्णुता

पाई जाती है। बहुभाषिक होने से भाषा को लेकर उत्पन्न होने वाले चुनौतियों से भी बचा जा सकता है।

बहुभाषिकता का महाविद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में लाभ इसके विस्तारित होते आयाम को दर्शाता है, जिसे हम कई रूपों में समझ सकते हैं। यह बहुभाषिकता ज्ञान, कार्य एवं संपर्क क्षेत्रों की संभावनाओं को विस्तारित करती है। अनेक प्रकार के रोजगार, व्यापार एवं नौकरियों के उपयुक्त अवसर को जन्म देती है। सामाजिक संरचना के बारे में समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। बहुभाषी व्यक्तियों में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता अधिक होती है। बहुभाषिक व्यक्तियों की अंत: क्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। बहुभाषिक व्यक्ति विमर्श के दौरान अधिकांश व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकता है। विज्ञान और तकनीकी के विकास एवं सूचना-संचार के साधनों में बहुभाषिकता की अग्रणी भूमिका होती है। वैश्वीकृत दुनिया में बहुभाषिकता अधिक प्रतिस्पर्धी तथा अत्याधुनिक होने की क्षमताओं का विकास करती है। बहुभाषिकता संस्कृति के उदारीकरण व वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होती है। वस्तुतः शिक्षा एक समतावादी, सामाजिक और आर्थिक स्तरीकरण में सबसे मौलिक तत्व है। भाषा, भाषा के उपयोग, उत्कृष्ट सामाजिक गठन एवं शिक्षा का ऊर्ध्वाधर विकास, असमान अवसरों तथा अधिक सामाजिक और आर्थिक असमानता के बीच पारस्परिक रूप से मजबूत संबंधों को समझने की कुंजी है। अतः बहुभाषिकता से हम अधिक समावेशी और समतावादी नागरिक होने के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। जिसकी एक मजबूत आधारशिला हमें विद्यालयी शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष

मानव जीवन में अधिगम की शुरुआत घर से होती है। जहाँ हम अपने माता-पिता या परिवार के सदस्यों से अपनी पहली भाषा सीखते हैं जिससे हमारी सामाजिक पहचान और अपनत्व की भावना का निर्माण होता है। यह पहली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा सभी बच्चों के लिए सहज अधिगम और सांस्कृतिक जुड़ाव का स्रोत होती है। हालाँकि जब बच्चे तीन या चार वर्ष की आयु में आँगनवाड़ी या प्राथमिक विद्यालय में कदम रखते हैं, तो उन्हें भाषा के आधार पर एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्हें अचानक एक नई भाषा के वातावरण में डाल दिया जाता है। अबोध बच्चे ऐसे शब्दों को समझने के लिए संघर्ष करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, बोला या लिखा है। इसलिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में बहुभाषिता को विकसित करना अतिआवश्यक है। जिस हेतु छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का नवाचारी प्रयास बेहद सराहनीय है। इसी तरह के प्रयास अन्य राज्यों को भी करने चाहिए, ताकि स्कूलों में बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल सके। यह प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट की समस्या में भी निजात दिलाने में सहायक हो सकता है और मुख्यधारा की भाषा से अपरिचित बच्चों में विद्यालय जाने के प्रति प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। अतः छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की तरह सभी राज्यों को चाहिए कि वह

अपने यहाँ विद्यालय पाठ्यक्रम को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराएँ और शिक्षक नियुक्ति में ऐसे अध्यापकों को वरीयता दें जो बहुभाषी हों और स्थानीय भाषाओं में बच्चों से संवाद में सहज हों। भाषायी परिस्थिति में संतुलन बना रहे इस हेतु शिक्षकों को बहुभाषिक होना चाहिए और विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा किसी भी भाषा के प्रयोग के प्रति उदार होना चाहिए। भारत जो प्राचीन समय से बहुभाषी एवं बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र है उसे अपनी विविधता में एकता बनाए रखने के लिए भी स्कूलों में बहुभाषा की आवश्यकता है। बहुभाषिकता के माध्यम से विद्यार्थियों का संज्ञानात्मकता, सामाजिकता, चिंतनशीलता व बौद्धिक क्षमताओं का विकास सहज ही किया जा सकता है।

संदर्भ

अख़्तर, जेब. 2024. राज्य के 1041 स्कूलों में हो रही जनजातीय भाषा की पढ़ाई. https://thefollowup.in/jharkhand/news/tribal-languages-are-being-taught-in-schools-of-the-state-unicef-is-cooperating-47968.html

उड़ीसा प्लस ब्यूरो. 2020. https://www.odisha.plus/2020/04/govt-of-odisha-and-unicef-launch-calendar-of-activities-for-continued-learning-of-children-at-home/

कुमार, जीत. 2024. राष्ट्रीय शिक्षा नीति— छत्तीसगढ़ में अब 18 बोली-भाषा में होगी पढ़ाई, आई.आई.टी. की तर्ज राज्य के हर जिले में होगा प्रौद्योगिकी संस्थान. *दैनिक जागरण समाचार-पत्र*. https://www.jagran.com/chhattisgarh/raipur-now-education-will-be-conducted-in-18-local-dialects-in-chhattisgarh-23779710.html

मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन. 2024. *नई शिक्षा नीति से संवरेगा बच्चों का भविष्य*. https://cmo.cg.gov.in/important-decisions/The-future-of-children-will-improve-with-the-new-education-policy/eFBvSmdGNHlTYmE1VzRFV0dHVGZnQT09

मैककैफ्री, सिंथिया और धीर झिंगरन. 2024. यूनिसेफ की रिपोर्ट, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है. https://www.unicef.org/india/stories/children-learn-best-when-theyre-taught-their-mother-tongue

रावल, अतुल. 2023. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 : चेक रिवाइज्ड स्कूल करिकुलम*. https://www.jagranjosh.com/articles/national-curriculum-framework-2023-for-new-school-curriculum-1693204067-1

रा.शै.अ.प्र.प. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली. https://ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

सारस्वत, रौनक. 2023. व्हॉट रिवाइज्ड एन.सी.एफ. सेज ऑन लैंगुएज टॉट टू स्टूडेंटस, हाऊ स्कूल एजूकेशन कुड चेंज. https://indianexpress.com/article/explained/revised-ncf-how-school-education-could-change-8909928/

हिंदुस्तान समाचार-पत्र. 2024. छह जिलों के 1041 स्कूलों में हो रही जनजातीय भाषा की पढ़ाई. https://www.livehindustan.com/jharkhand/ranchi/story-bilingual-education-in-jharkhand-indigenous-languages-promoted-in-schools-201723149868605.html